सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण।

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें,

8 वॉ तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, अमर शहीद पथ, लखनऊ–226002

पत्रांकः टीएस–सीसीटीएनएस–17/2010 पार्ट–2 **दिनांकः लखनऊः जून 28, 2019**

सेवा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद बरेली, मेरठ, गाजीपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, शाहजहॉपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, बॉदा, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर–नगर, वाराणसी, झॉसी, पीलीभीत, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।

विषयः–प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भः–सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 550/ छः–पु0–15/2017 दिनांकित 03 जनवरी 2018
अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–06, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 226 पी / छः–पु0–6/2019–300 (13)/2016 दिनांकित 08 मार्च 2019
विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 300/ छः–पु0–15/2019 दिनांकित 28 मार्च 2019
अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के पत्रांक 20.04.2019, 05.04.2019, 16.04.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 20.06.2019
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें, लखनऊ का समांक पत्र दिनांकित 14.12.2017. 28.12.2017, 03.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018 05.04.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ के माध्यम से प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित **"आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर)"** में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने विषयक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के संलग्न सन्दर्भ के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या/सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, प्रतीक्षित हैं।

2– उपरोक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित को समांक पत्र दिनांकित 31–01–2018, 05.04.2019 द्वारा क्यू मेल आईडी तथा **"आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर)"** पर शिकायत दर्ज किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया में एस0ओ0पी0 उपलब्ध कराते हुए निम्नवत कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका हैः–

- सीसीटीएनएस पोर्टल पर आन–लाइन शिकायत माड्यूल की सुविधा उपलब्ध है, जो गैर–नामजद शिकायत प्राप्त होती है उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल ई–एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाता है।
- इसी प्रकार जो नामजद शिकायतें आन–लाइन प्राप्त होती हैं उनमें निर्धारित समयावधि में विवेचनाधिकारियों द्वारा विवेचना सम्पादित किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी

Scanned by CamScanner

है, स्थानीय पुलिस द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही की जाती है। जिसकी सूचना वादी को एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाती है।

- **"आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर)"** जो 17 जनपदों में स्थापित हैं उन पर जो महिलायें शिकायत दर्ज कराने आती हैं, जिन प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज किये जाने की आवश्यकता है। इन केन्द्रों पर कार्यरत पुलिस अधिकारी/कार्मिक यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से महिलाओं से सम्बन्धित एफआईआर व उसका विवरण को देखने व प्रिंट प्राप्त करने की व्यवस्था है व वादी महिला को इसका प्रिंट आउट कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर **(CAS)** के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्व तत्काल ई–एफ0आई0आर0 कायम करने के लिए ई–एफ0आई0आर0 रजिस्ट्रेशन की सुविधा सीसीटीएनएस पोर्टल पर एवं UPCOP Mobile app पर उपलब्ध है। ज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ थाने से जॉचोपरान्त कार्यवाही की जाती है। सीसीटीएनएस पोर्टल पर जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं की ऑनलाइन व्यवस्था भी सीसीटीएनएस पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है। जिसका उपयोग "आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्रों (वन स्टाफ सेंटर)" द्वारा किया जाना चाहिए।

3– अतः प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के संलग्न सन्दर्भ के अनुसार वर्णित जनपदों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की सूचना बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के साथ ही निर्देशित कार्यवाही सम्पादित की जाय।

<u>संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।</u>

27/6

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः–</u>

1. सचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें, लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक/ प्रभारी अधिकारी, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, 62, टाइप–4, वायरलेस कालोनी, महानगर, लखनऊ।
5. सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. सचिव सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
9. पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस, मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर गेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
11. एसपीएमयू, मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
12. प्रभारी, सीसीटीएनएस मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

1317
26.6.19

3219
26/6/19

169

3782

आवश्यक / महत्वपूर्ण / अनुस्मारक पत्र–04

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

संख्या–3–क–23– 2016 दिनांकः जून 20,2019

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
बरेली, मेरठ, गाजीपुर, प्रयागराज,
गोरखपुर, शाहजहॉपुर, मिर्जापुर,
मुजफ्फरनगर, बांदा।

विषय– प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0दर्ज किये जाने एवं सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05.04.2019, 16.04.2019, 07.05.2019, 03.06.2019 एवं शासन के पत्र संख्याः 226पी / छः–पु–6–2019– 300 (13) 2016 दिनांक 08.03.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 446 / 60–3–2018–5 (सा0) / 16 दिनांक 26,मार्च,2018 ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण'' के संबंध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2018 से स्पष्ट है कि ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है तथा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या–550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 (पुलिस अनुभाग–15) द्वारा निर्गत करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है। तथा उक्त शासनादेश के अनुसार की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। परन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या / सूचना अभी तक इस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में शासन की अपेक्षानुसार महिला एवं बाल विकास–3, उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2018 से अवगत होते हुए एवं शासनादेश संख्या– 550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना लौटती डाक से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार शासन को अनुपालन आख्या / सूचना भेजी जा सके।

I/C CCTNS
कृत कार्यवाही की आख्या दें।

(मो0 इरफान अन्सारी)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
नि0अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

20/6/19

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश

25/6

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री महेन्द्र सिंह अनुसचिव उ0प्र0,शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ को शासन के उपरोक्त सन्दभि पत्र दिनांक 08.03.2019 के कम में।

2– अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।

3– अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, मेरठ जोन वाराणसी जोन, प्रयागराज जोन, गोरखपुर जोन को इस अनुरोध के साथ की अपने अधीनस्थ जानपदों को सूचना लौटती डाक भेजे जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।

4– अनुसचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन

Scanned by CamScanner

2326
7-6-19

3284
आवश्यक / महत्वपूर्ण / अनुस्मारक पत्र–03 |68

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

संख्या–3–क–23– 2016 दिनांकः जून 03,2019

सेवा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
बरेली, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज,
प्रयागराज, गोरखपुर, शाहजहॉपुर,
मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, बांदा

विषय– प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0दर्ज किये जाने एवं सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05.04.2019, 16.04.2019, 07.05.2019 एवं शासन के पत्र संख्याः 226पी / छः–पु–6–2019– 300 (13) 2016 दिनांक 08.03.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 446 / 60–3–2018–5 (सा0) / 16 दिनांक 26,मार्च,2018 ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण'' के संबंध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2018 से स्पष्ट है कि ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है तथा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या–550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 (पुलिस अनुभाग–15) द्वारा निर्गत करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है। तथा उक्त शासनादेश के अनुसार की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। परन्तु दो माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या / सूचना अभी तक इस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में शासन की अपेक्षानुसार महिला एवं बाल विकास–3, उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2018 से अवगत होते हुए एवं शासनादेश संख्या– 550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना आज ही लौटती डाक से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार शासन को अनुपालन आख्या / सूचना भेजी जा सके।

03/6/19
(मो0 इरफान अन्सारी)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
नि0अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0
6/6/19

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री महेन्द्र सिंह अनुसचिव उ0प्र0,शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ को शासन के उपरोक्त सन्दभि पत्र दिनांक 08.03.2019 के कम में।

2– अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।

3– अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन को इस अनुरोध के साथ की अपने अधीनस्थ जानपदों को सूचना भेजे जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।

4– अनुसचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन

Scanned by CamScanner

995
10-5-19

आवश्यक / महत्वपूर्ण / अनुस्मारक पत्र–02

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

162

संख्या–3–क–23– 2016

दिनांकःमई 07,2019

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कन्नौज,
प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहाँपुर,
मिर्जापुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बांदा।

विषय– प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0दर्ज किये जाने एवं सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05.04.2019, 16.04.2019 एवं शासन के पत्र संख्याः 226पी / छः–पु–6–2019– 300 (13) 2016 दिनांक 08.03.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 446 / 60–3–2018–5 (सा0) / 16 दिनांक 26,मार्च,2018 "आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण" के संबंध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2018 से स्पष्ट है कि "आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है तथा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित "आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या–550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 (पुलिस अनुभाग–15) द्वारा निर्गत करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है। तथा उक्त शासनादेश के अनुसार की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। परन्तु एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या / सूचना अभी तक इस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में शासन की अपेक्षानुसार महिला एवं बाल विकास–3, उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2018 से अवगत होते हुए एवं शासनादेश संख्या–550 / 6–पु–15 / 2017 दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार शासन को अनुपालन आख्या / सूचना भेजी जा सके।

Necessary

SI (M)
10/5/19

07.5.19
(मो0 इरफान अन्सारी)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
नि0अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
10/5/19

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री महेन्द्र सिंह अनुसचिव उ0प्र0,शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ को शासन के उपरोक्त सन्दभि पत्र दिनांक 08.03.2019 के कम में।
2– अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन को इस अनुरोध के साथ की अपने अधीनस्थ जानपदों को सूचना भेजे जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।
4– अनुसचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन

Scanned by CamScanner

2373 160

आवश्यक/महत्वपूर्ण/अनुस्मारक पत्र

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

संख्या–3–क–23– 2016

दिनांकःअप्रैल 16,2019

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर
कन्नोज, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, पीलीभीत,
शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बांदा

विषय– प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0दर्ज किये जाने एवं सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 05.04.2019 एवं शासन के पत्र संख्याः 226पी/छः–पु–6–2019– 300 (13) 2016 दिनांक 08.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 446/60–3–2018–5 (सा0)/16 दिनांक 26,मार्च,2018 ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण'' के संबंध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2018 से स्पष्ट है कि ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है तथा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या–550/6–पु–15/2017 दिनांक 03.01.2018 (पुलिस अनुभाग–15) द्वारा निर्गत करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है। तथा उक्त शासनादेश के अनुसार की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। परन्तु एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या/सूचना अभी तक इस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में शासन की अपेक्षानुसार महिला एवं बाल विकास–3, उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2018 से अवगत होते हुए एवं शासनादेश संख्या–550/6–पु–15/2017 दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार शासन को अनुपालन आख्या/सूचना भेजी जा सके।

COCCTNS

D/e CCTNS

SI(M)
18/4/19

16.4.19

(मो0 इरफान अन्सारी)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
नि0अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

पर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
16/4/19

CCTS

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री महेन्द्र सिंह अनुसचिव उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ को शासन के उपरोक्त सन्दभि पत्र दिनांक 08.03.2019 के क्रम में।
2– अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन को इस अनुरोध के साथ की अपने अधीनस्थ जानपदों को सूचना भेजे जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।
4– अनुसचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन

Scanned by CamScanner

2588

159

आवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स/ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।

संख्या–3–क–23– 2016

दिनांकःआप्रैल05,2019

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर
कन्नोज, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, पीलीभीत,
शाहजहॉपुर, मिर्जापुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बांदा

विषय– प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0दर्ज किये जाने एवं सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्याः226पी/छः–पु–6–2019– 300(13)2016 दिनांक 08.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 446/60–3–2018–5(सा0)/16 दिनांक 26,मार्च,2018 (संलग्न) ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र(वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण'' के संबंध में है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2018 से स्पष्ट है कि ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र(वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है तथा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित ''आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र(वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या–550/6–पु–15/2017 दिनांक 03.01.2018 (पुलिस अनुभाग–15) द्वारा निर्गत करते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है। तथा उक्त शासनादेश के अनुसार की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 03.01.2018 की प्रति पूर्व में शासन द्वारा सीधे आपको भेजी जा चुकी है अतएवं शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3– अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में शासन की अपेक्षानुसार महिला एवं बाल विकास–3, उ0प्र0 शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2018 से अवगत होते हुए एवं शासनादेश संख्या–550/6–पु–15/2017 दिनांक 03.01.2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार शासन को अनुपालन आख्या/सूचना भेजी जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

05/4/19

(मो0 इरफान अन्सारी)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
नि0अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

9/4/19

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री महेन्द्र सिंह अनुसचिव उ0प्र0,शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ को शासन के उपरोक्त सन्दभि पत्र दिनांक 08.03.2019 के कम में।

2– अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।

3– अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन को इस अनुरोध के साथ की अपने अधीनस्थ जानपदों को सूचना भेजे जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करे।

4– अनुसचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन

5– अनुसचिव पुलिस अनुभाग–15 उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

फैक्स / ई-मेल

आशा ज्योति केन्द्र/ प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 226 /छः-पु-6-2019- 300 (13)/2016

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज।

गृह पुलिस अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2019**

विषयः प्रदेश के 17 जनपदों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने एवं सी0सी0टी0एन0एस0 की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3/क-23-2016 दिनांक 28-01-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 17 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के संचालन हेतु 34 महिला उप निरीक्षक एवं 68 महिला आरक्षी के पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि **महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2018** (संलग्न) "आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण" से संबंधित है, **जिसके प्रस्तर-2 (ग) में निम्न प्राविधान हैं:**

"केन्द्र संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध 09 पद, महिला पुलिस चौकी के लिए 06 पद तथा लेखा सहायक का 01 पद अर्थात् कुल 16 पदों का नवीन सृजन किया जाता है। इन 16 पदों का वित्त पोषण राज्य बजट से किया जायेगा। महिला होमगार्डस की व्यवस्था/ तैनाती पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी।"

3- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2018 से स्पष्ट है कि "आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है।

4- अवगत ही हैं कि प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित "आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नीतिविषयक शासनादेश संख्या-550/6-पु-15/2017 दिनांक 03-01-2018 (पुलिस अनुभाग-15) निर्गत करते हुए इसमें दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में महिला एवं बाल विकास-3 उ0प्र0शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 26-03-2018 से अवगत होते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 03-01-2018 के अनुपालन में की गयी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन को 10 दिन में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

SP/AD
CO, CCTNS
SI(M)
अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
14/3/19
COTS 15/3/19
SP/AD 14/3/19

Scanned by CamScanner

930

संख्या- 226 पी(1) /6-पु-6-2019- 300(13)/ 2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 / पुलिस अनुभाग-15

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

जारी / श्री 250
26/3/18
जारी
26.03.18

संख्या–446 / 60–3–2018–5(सा0) / 16

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2018

विषयः–आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु पदों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत जनपदों में आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाप सेन्टर) के संचालन हेतु राज्यपाल महोदय संलग्न विवरण के अनुसार पदों का निर्धारण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– प्रति केन्द्र संचालन हेतु कुल 26 पदों का निर्धारण किया गया है, जिनमें से विभिन्न पदों पर निम्नांकित विवरण के अनुसार कार्मिक योजित किये जायेंगेः–

(क)– 10 पदों की सेवायें आउटसोर्सिंग के रूप में प्राप्त की जायेंगी। इन 10 पदों का विवरण निम्नांकित हैः–

05 पद (परामर्शदाता (महिला हेल्पलाइन काउन्सलर)–01, रेस्क्यू वैन फैसिलिटेटर (महिला)–02 तथा महिला होमगार्ड–02 जो रेस्क्यू वैन सेवा से सम्बन्धित है) तथा **05 पद** (यथा–हाउसकीपर–01, सफाईकर्मी (हेल्पर)–01, रसोईया (केयरटेकर कम कुक)–01 तथा महिला होमगार्ड–02, जो केन्द्र के संचालन से सम्बन्धित हैं)

(ख)– अन्य विभागों से सेवाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से प्रति केन्द्र 06 पद का प्राविधान हैं।

(ग)– केन्द्र संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध 09 पद, महिला पुलिस चौकी के लिए 06 पद तथा लेखा सहायक का 01 पद अर्थात् कुल 16 पदों का नवीन सृजन किया जाता है। इन 16 पदों का वित्त पोषण राज्य बजट से किया जायेगा। महिला होमगार्ड्स की व्यवस्था / तैनाती पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी।

3– उपरोक्त 16 नवीन सृजित होने वाले अस्थायी पदों को उनके भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए, बशर्ते कि बिना सूचना के उसके पहले समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उपर्युक्तानुसार संविदा / मानदेय के आधार पर सृजित होने वाले पदों को छोड़कर नवीन पदधारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो कि राज्य कर्मचारियों को समय–समय

C-2 tandan ji-go

Scanned by CamScanner

पर अनुमन्य होंगे, देय होंगे।

5– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–12–रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र का संचालन–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6– उपरोक्तानुसार प्रति केन्द्र पदों का निर्धारण अगले 02 वित्तीय वर्षों 2018–19 एवं 2019–2020 के लिये इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि भारत सरकार की योजनान्तर्गत उपलब्ध पद तभी तक रहेंगे, जब तक भारत सरकार द्वारा उनका वित्त पोषण किया जायेगा।

7– सम्प्रति 17 संचालित केन्द्र तथा 06 संचालित होने वाले केन्द्र अर्थात् कुल 23 केन्द्रों के कार्यों व उपादेयता की उक्त अवधि के बाद समीक्षा की जायेगी एवं तत्पश्चात् ही नये केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–739–ई–3/–दस–2018, दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–446 (1)/60–3–2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, न्याय, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5– महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ओ0ओ0), जी0वी0के0–ई0एम0आर0आई0, लखनऊ।
8– प्रभारी कम्प्यूटर सेल, महिला कल्याण निदेशालय को उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

21/3/18

C-2 tandan ji-go

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या–446/60–3–2018, दिनांक 26 मार्च, 2018 का संलग्नक

आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टॉप सेन्टर) के लिये पदों का निर्धारण

आपकी सखी आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टॉप सेन्टर)					
क्र0	पद	पदों की संख्या	मासिक दर	वित्तीय व्यवस्था	पद की प्रकृति
क–प्रशासकीय सेल					
1	प्रशासक	01	रू0–40,000/– प्रतिमाह	भारत सरकार की ओ0 एस0 सी0 स्कीम से वहन किया जायेगा।	नवीन पद सृजन
2	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	रू0–15,000/– प्रतिमाह	भारत सरकार की ओ0 एस0 सी0 स्कीम से वहन किया जायेगा।	नवीन पद सृजन
ख– आकस्मिक सुगमता यूनिट सेल– पीड़िताओं को आकस्मिक सेवाओं द्वारा त्वरित सहायता हेतु					
3	पैरामेडिकल स्टाफ	03	रू0–15,000/– प्रतिमाह	भारत सरकार की ओ0 एस0 सी0 स्कीम से वहन किया जायेगा।	नवीन पद सृजन
4	पुलिस रिपोर्टिंग चौकी उप निरीक्षक	02	01–01 उप निरीक्षक महिला	Convergeance के माध्यम से	नवीन पद सृजन
5	महिला कान्सटेबल	04	02–02 महिला कान्सटेबल	Convergeance के माध्यम से	नवीन पद सृजन
ग–रेस्क्यू हेल्पलाइन सेल– महिलाओं की सहायता हेतु रेस्क्यू वैन का संचालन किया जाएगा।					
6	महिला हेल्पलाइन काउन्सलर	01	रू0–12,000/– प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
7	रेस्क्यू वैन फैसिलिटेटर (महिला)	02 D/N	रू0–10,000/– प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
8	महिला होमगार्ड	02 D/N	रू0– 10,000/– प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
घ–परामर्श सेल –प्रत्येक आशा ज्योति केन्द्रों में पीड़ित महिलाओं के मानसिक एवं भावनात्मक अभिघात के उपचार हेतु परामर्श एवं फॉलोअप किया जाना है।					
9	मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (आघात)	02	रू0–30,000/– प्रतिमाह	भारत सरकार की ओ0 एस0 सी0 स्कीम से वहन किया जायेगा।	नवीन पद सृजन
10	महिला सामाजिक कार्यकर्ता	02	रू0–20,000/– प्रतिमाह	भारत सरकार की ओ0 एस0 सी0 स्कीम से वहन किया जायेगा।	नवीन पद सृजन
ड़–अल्पप्रवास सेल – प्रत्येक आशा ज्योति केन्द्र में पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिये अल्पप्रवास की व्यवस्था की गयी है।					

C-2 tandan ji-go

Scanned by CamScanner

11	केयरटेकर कम कुक	01	रू0—10,000 / — प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
12	महिला होमगार्ड	02	रू0—10,000 / — प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
13	हाउसकीपर	01	रू0—5,000 / — प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
14	हेल्पर	01	रू0—5,000 / — प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	आउटसोर्सिंग द्वारा
च— लेखा अनुभाग सेल— प्रत्येक आशा ज्योति केन्द्र के समस्त लेखा के रख—रखाव हेतु					
15	स्टोरकीपर कम लेखा सहायक	01	रू0—10,000 / — प्रतिमाह	वित्तीय व्यवस्था राज्य बजट से	नवीन पद सृजन
	कुल योग	26			

21/3/18

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

152

सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण।

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–17/2010 पार्ट–2

सेवा में

दिनांकःलखनऊःअप्रैल 05, 2019

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
2. श्री अविनाश सिंह, विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–17, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर–नगर, वाराणसी, गोरखपुर, झॉसी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मीरजापुर, बांदा, गाजीपुर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ, 62 टाइप–4, वायरलेस कालोनी , महानगर, लखनऊ।
6. एसपीएमयू, मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः–प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 550/6-पु0-15/2017 दिनांकित 03 जनवरी 2018 के माध्यम से प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्र (वन स्टाफ सेंटर) में सी0सी0टी0एन0एस0 नोड से एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था किये जाने विषयक विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा समस्त को सम्बोधित के साथ इस मुख्यालय को पृष्ठांकित प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

2– उपरोक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 31–01–2018 द्वारा क्यू मेल आईडी उपलब्ण्ध करायी थी तथा आशा ज्योति केन्द्र पर शिकायत सम्बन्धी प्रक्रिया की एस0ओ0पी0 संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, जिसके अनुसार सर्वसम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

5/4/2019

(शहाब रशीद खॉ)
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
मुख्यालय उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस महानिरीक्षक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, 62, टाइप–4, वायरलेस कालोनी, महानगर, लखनऊ।
2. अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
5. पुलिस उपाधीक्षक, सीसीटीएनएस, मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 तथा पुलिस अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर गेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ सूचनार्थ अपेक्षित कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी, सीसीटीएनएस मुख्यालय तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

TS-CCTNS-17(2010)

निर्मत

Scanned by CamScanner

1.07

संलग्नक-1

आशा ज्योति केंद्र पर पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटित सीयूजी एवं सम्बंधित क्यू-मेल आईडी

क्रम संख्या	जनपद	सीयूजी	क्यू-मेल आईडी
1	इलाहाबाद	7839866701	7839866701@upcctns.gov.in
2	आगरा	7839866702	7839866702@upcctns.gov.in
3	मेरठ	7839866703	7839866703@upcctns.gov.in
4	गाजियाबाद	7839866704	7839866704@upcctns.gov.in
5	बरेली	7839866705	7839866705@upcctns.gov.in
6	कानपुर नगर	7839866706	7839866706@upcctns.gov.in
7	लखनऊ	7839866707	7839866707@upcctns.gov.in
8	वाराणसी	7839866708	7839866708@upcctns.gov.in
9	गोरखपुर	7839866709	7839866709@upcctns.gov.in
10	झाँसी	7839866710	7839866710@upcctns.gov.in
11	मुजफ्फरनगर	7839866711	7839866711@upcctns.gov.in
12	पीलीभीत	7839866712	7839866712@upcctns.gov.in
13	शाहजहाँपुर	7839866713	7839866713@upcctns.gov.in
14	मीरजापुर	7839866714	7839866714@upcctns.gov.in
15	बाँदा	7839866715	7839866715@upcctns.gov.in
16	गाजीपुर	7839866716	7839866716@upcctns.gov.in
17	कन्नौज	7839866717	7839866717@upcctns.gov.in

Scanned by CamScanner

108

सेवा में,

कंप्यूटर अधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक,
तकनीकी सेवायें,
उ०प्र० लखनऊ ।

महोदय,

कृपया पुलिस अधीक्षक / सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कंप्यूटर केंद्र महोदय के पत्र संख्या-टीएस-सीसीटीएनएस-17/2010 / 1268 दिनांक- 17-01-2018 के बिंदु संख्या-01 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित सखी आशा ज्योति केंद्र(वन स्टाफ सेंटर) में सीसीटीएनएस की व्यवस्था किये जाने हेतु यूजर आईडी / पासवर्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सखी- आशा ज्योति केंद्र पर सीसीटीएनएस व्यवस्था किये जाने हेतु सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या : 28/छः-पु0-15-2018 दिनांकित- 19 जनवरी, 2018 के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- बजट -7-72-2017(CUG/PMO) दिनांकित- 19 जनवरी,2018 द्वारा सम्बंधित जनपदों को आवंटित सीयूजी से क्यू-मेल आईडी बनवा ली गयी है (संलग्नक-1). साथ ही अवगत कराना है कि उक्त सखी-आशा ज्योति केंद्र हेतु सीसीटीएनएस आईडी बनवाने हेतु NIIT द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारूप (संलग्नक-2) के अनुसार सूचना अपेक्षित है ।

3- अतः सीसीटीएनएस आईडी बनवाने हेतु सम्बंधित जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने एवं सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग -15 को उनके पत्र संख्या-: 28/छः-पु0-15-2018 दिनांकित- 19 जनवरी, 2018 के क्रम में पत्राचार के साथ-साथ क्यू-मेल आईडी शासन को प्रेषित करना चाहे ।

I/C CCTNS
25/1/18
CCTNS

S/C AD
29-1-18
I/C CCTNS

Scanned by CamScanner

4- उक्त के साथ ही अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक / सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कंप्यूटर केंद्र महोदय के पत्र संख्या-टीएस-सीसीटीएनएस-17/2010 / 1081 दिनांक- 08-01-2018 में संलग्न विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस)अनुभाग-15 के पत्र संख्या-547/6-पु0-15-2018 दिनांक-01-01-2018 के बिंदु संख्या-06 "एफआईआर एवं सीएस/एफआर की पीडीएफ की कॉपी हेतु क्यू-मेल का प्रयोग किया जाये|सीसीटीएनएस द्वारा महिला सम्मान प्रकोष्ठ के समस्त नोडल ऑफिसर को क्यू-मेल उपलब्ध करा दिया जाये ताकि सारे नोडल अधिकारी आवश्यक सूचनाये प्राप्त कर सके|"हेतु प्रारूप (संलग्नक-3) के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित से पत्राचार करना चाहे |

<u>संलग्नक-यथोपरि</u>

दिनांक- 25-01-2018

25/01/18

(कृष्ण मुरारी)

प्रोग्रामर ग्रेड-2

उ०प्र० पुलिस कंप्यूटर केंद्र |

Scanned by CamScanner

संलग्नक-2

PNO	CUG	NAME	ADDRESS			ASSIGNMENT DETAILS			RANK	Date of Birth	Date of Joining
			VILL	POLICE STATION	DISTRICT	DISTRICT	POLICE STATION	ROLE			

Scanned by CamScanner

संलग्नक -3

(105)

Proforma for q- mail id creation			
CUG	NAME	Designation	Posting Details

Scanned by CamScanner

104

द्वारा ईमेल/क्यू मेल।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः बजट–7–72–2017(CUG/PMO), दिनॉकः जनवरी 19 ,2018

सेवा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद–प्रभारी– आगरा/बरेली/मेरठ/गाजीपुर/गाजियाबाद/कानपुरनगर/कन्नौज/ लखनऊ/इलाहाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/पीलीभीत/शाहजहॉपुर/मिर्जापुर/झॉसी/मुजफ्फरनगर एवं बॉदा।

विषयः प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित आशा ज्योति केन्द्र के केन्द्र प्रभारियों को सी0यू0जी0 सिम कार्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपयुर्क्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्याः 28/छः–पु0–15–2018, दिनॉकः 19–01–2018 द्वारा शासन के पत्र संख्याः: 550/6–पु0–15/2017, दिनॉकः 03–01–2018 द्वारा प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित आशा ज्योति केन्द्र के केन्द्र प्रभारियों को सी0यू0जी0 सिम कार्ड प्रदान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के सापेक्ष 17 अदद सीयूजी सिम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

2– अतएव निदेशानुसार आपके जनपद में संचालित आशा ज्योति केन्द्र के केन्द्र प्रभारियों को सी0यू0जी0 सिमकार्ड प्रदान किये जाने हेतु सीयूजी सिमकार्ड इस आशय आवंटित किये जाते हैं, (सूची संलग्न है) कि प्रश्नगत सीयूजी सिमकार्ड संबंधित आशा ज्योति केन्द्र के केन्द्र प्रभारियों को अपने राजकीय रजिस्टर में इन्द्राज करा कर उपलब्ध करायें, तथा उक्त की सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

CCTNS
K. Murari
SP/ASD
23/1/2018

19.1

(बी0पी0 जोगदण्ड)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को शासन के पत्र संख्याः 28/छः–पु0–15–2018, दिनॉकः 19–01–2018 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग–15, लखनऊ को कृपया शासन के उपरोक्त पत्र दिनॉकः 19–01–2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

—0—

Scanned by CamScanner

आवंटित किये जा रहे सीयूजी सिमकार्डो की सूची।

क0सं0	जनपद का नाम	सीयूजी नम्बर	सिमकार्ड नम्बर
1	2	3	4
1	इलाहाबाद	7839866701	8991554106143908097
2	आगरा	7839866702	8991554106143908098
3	मेरठ	7839866703	8991554106143908099
4	गाजियाबाद	7839866704	8991554106143908100
5	बरेली	7839866705	8991554106143908101
6	कानपुर नगर	7839866706	8991554106143908102
7	लखनऊ	7839866707	8991554106143908103
8	वाराणसी	7839866708	8991554106143908104
9	गोरखपुर	7839866709	8991554106143908105
10	झॉसी	7839866710	8991554106143908106
11	मुजफ्फनगर	7839866711	8991554106143908107
12	पीलीभीत	7839866712	8991554106143908108
13	शाहजहॉपुर	7839866713	8991554106143908109
14	मिर्जापुर	7839866714	8991554106143908110
15	बॉदा	7839866715	8991554106143908111
16	गाजीपुर	7839866716	8991554106143908112
17	कन्नौज	7839866717	8991554106143908113

Scanned by CamScanner